कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक–'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो–827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1362 दिनांक 02.11.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के क्रम में कुल 8 बिन्दुओं पर निराकरण प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 1540 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा उक्त पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण प्रतिवेदन
1	अपयोजित होने वाली सम्पूर्ण वनभूमि का किस्म जमीन–झाड़ी है। अतः इसके उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त/आयुक्त का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	आयुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **अनुलग्नकः–4**
2	प्रस्तावित Construction of Police Line Ramgarh Building हेतु प्रस्ताव non site specific है अतः इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। वन भूमि में Police Line स्थापित किये जाने का औचित्य क्या है ? के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में Police Line स्थापित किये जाने के संबंध में Justification Report संलग्न है। **अनुलग्नकः–5**
3	प्रस्ताव के साथ Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land से संबंधित समर्पित प्रतिवेदन संलग्न है। **अनुलग्नकः–6**
4	प्रस्ताव के साथ Cost Benefit analysis report संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Cost Benefit analysis report संलग्न है। **अनुलग्नकः–3**

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण प्रतिवेदन
5	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का किस्म जंगल दर्ज है अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देश (Hand Book) 2.4 (i) के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ऐसे मामले में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले दो गुणा गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अर्थात इस परियोजना हेतु कुल 26.10 हे0 गैर वन भूमि चिन्हित की जानी अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि मौजा–बीचा, थाना संख्या–37, खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–44 एवं 154 कुल रकबा–64.48 एकड़ (26.11 हे0) गैरमजरूवा खास को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए गैर वन भूमि का मौजा मानचित्र **(अनु–13)**, Geo-reference Map **(अनु–14)**, Toposheet Map **(अनु–15)**, CA-Suitability **(अनु–16)**, CA-Estimate **(अनु–17)**, KML File **(अनु–22)** के रूप में संलग्न है।
6	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non encumbrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non encumbrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **अनुलग्नकः–18**
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षो की गणना सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या– 113 है, जिसमें कितने वृक्षों का पातन होना है, से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है कि उक्त परियोजना के निमार्ण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यून्तम वृक्षों का ही पातन किया जाएगा। प्रतिवेदन संलग्न। **अनुलग्नकः–19**
8	प्रस्ताव के साथ CWLW का मंतव्य संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि है एवं शहर से सटे रामगढ़ सचिवालय एवं न्यायालय आवासीय परिसर के समीप है अतः उक्त क्षेत्र पर कोई भी endangered wild life Species नहीं पाया जाता है न हीं उनका आवागमन क्षेत्र है। अतः इस परियोजना के लिए Wild Life Mitigation Plan की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की **छः (06)** प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0 :– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

ह0/–

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक ...., दिनांक ....

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को निराकरण प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 903**, दिनांक** 03-08-2023

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल को उनके पत्रांक 1540 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

03-8-23

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

Ravi 03/8/2023